फर्द अहकाम

किशना बनाम ओमप्रकाश वगैरह

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

केस संख्या 93/2011

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	13/8/14	पत्रावली पेश हुई, अधिवक्ता संघ द्वारा न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने पर पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 22/8/14 पेश हो। (हस्ताक्षर)
	22/8/14	पत्रावली पेश हुई। P.O. R.O. मीटिंग के कारण पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते तलबी ~~/ जवाब~~ दिनांक 23/8/14 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
	23/8/14	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादीगण की जानिब कुर्रैजात पर बहस सुनी। वकील वादीगण ने मुताबिक कुर्रैजात के वाद को तकासीम करने हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। अतः वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राज० काश्तकारी अधि० को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर मुताबिक कुर्रैजात के तकासीम हेतु निर्णय किया जाता है तथा डिक्री जारी किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। निर्णय आज खुले में सुनाया गया। पत्रावली कोमल कुमार हेड नकलनवीस से जावे तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला–जयपुर

डिक्री मुकदमा इबलाई (रूल्स 18—21)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर राज0

बइजलास श्री ललित मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नं0 93/2011 दायर दिनांक 01.06.2011

किशना बनाम बुद्विप्रकाश वगैराह

(अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम)

प्राथमिक डिक्री आदेश दिनांक 25.04.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री ललित मीना आर.ए.एस. व हाजिर श्री रामजीलाल मीना वादी अधिवक्ता निजातिब मुदालय रूबरू बहाजीरी पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार जमवारामगढ को आदेशित किया जाता है कि ग्राम पापड, पटवार मण्डल पापड, तहसील जमवारामगढ में स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 218 रकबा 22 बीघा 3 बिस्वा के संबंध में उभय पक्षों के राजस्व रिकार्ड में अंकित हक व हिस्से को मध्य नजर रखते हुए मुताबिक बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस अर्थात सरस—नरस के आधार पर विधिक रूप से तकासमा हेतु निर्णय किया जाता है तथा वाद को प्राथमिक डिक्री किया जाता है। वादी एवं प्रतिवादीगणों के मध्य दोनों पक्षों को सूचित करते हुये उनकी मौजूदगी में अलग—अलग रंग भरकर कुर्रेजात के प्रस्ताव तीन—तीन प्रतियों में तैयार कर पेश करें। पक्षकारान खर्चा अपना—अपना वहन करेगें।

डिक्री आज दिनांक 25/04/2024 को कार्यालय की मोहर से जारी की गई।

उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ

उपखण्ड अधिकारी

जमवारामगढ, जयपुर

मिलान स्टाप अर्जी दावा		
मुदई	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबूत		
महन्ताना वकील		
खर्चा गवहान		
बबतहजराय हुक्मनामा		
मुत		
मिलान		

स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबूत		
महन्ताना वकील		
खर्चा गवहान		
बबतहजराय हुक्मनामा		
मुत		
मिलान		

उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ

उपखण्ड अधिकारी

जमवारामगढ, जयपुर

(73)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
3/2011	02/06/2011	23/08/2024

1. किशना पुत्र भोदया उर्फ भौरीलाल मीणा
   1/1. भोलाराम पुत्र किशनलाल
   1/2. प्रभूदयाल पुत्र किशनलाल
   1/3. रामजीलाल पुत्र किशनलाल
   1/4. मुन्ना राम मीणा पुत्र किशनलाल
   1/5. छुटटन लाल मीणा पुत्र किशनलाल
   1/6. बाबुलाल पुत्र किशनलाल
   1/7. पार्वती देवी पत्नि किशनलाल
   1/8. फुली देवी पत्नि नाथूलाल
   1/9. घनश्याम मीणा पुत्र नाथूलाल
   1/10. राजेन्द्र कुमार मीना पुत्र नाथूलाल
   1/11. रामावतार मीणा पुत्र नाथूलाल
   1/12. अनोखी देवी पुत्री नाथूलाल
   1/13. कैलाशी पुत्री किशनलाल

समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम पापड, प्रधान की ढाणी, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर राजस्थान। वादीगण

बनाम

1. बुद्धिप्रकाश पुत्र भौरीलाल मीणा जाति मीणा निवासी आगरा रोड जयपुर हाल सोसायटी व्यवस्थापन हथरोईगडी गृहनिर्माण सहकारी समिति जयपुर।
2. महादेव पुत्र भौरा
   2/1. पप्पू लाल पुत्र महादेव
3. रामकँवार पुत्र भौरा
4. गप्या पुत्र भौरा
5. रामधन पुत्र
   5/1. नाथी देवी पत्नि रामधन
   5/2. कानाराम पुत्र रामधन
   5/3. युवराज पुत्र रामधन
   5/4. महेश पुत्र रामधन
6. रामफूल पुत्र बुद्दा
7. नानगा पुत्र छाटू
   समस्त जाति मीणा समस्त निवासी ग्राम पापड, तहसील जवमारामगढ, जिला जयपुर राज०।
8. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर, राजस्थान।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभावक
श्री रामजीलाल मीना :– वकील वादीगण

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला–जयपुर

243

दावा बाबत बटंवारा, स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा–53, 188 आर0टी0एक्ट

–: निर्णय :–

वादीगंण की ओर से एड0 श्री रामजीलाल मीना ने यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस कथन के साथ पेश किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 से 7 की सहखातेदारी एवं कब्जे काश्त एवं रिकार्डेड खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 218 रकबा 22 बीघा 3 बिस्वा ग्राम पापड में स्थित है। उक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि का सरस–नरस के आधार पर बंटवारा किया जाकर वादी का खाता व लगान पृथक किया जावें। प्रकरण में विधिवत सुनवाई करते हुए दिनांक 25.04.2024 को प्राथमिक डिक्री किया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार जमवारामगढ ने अपने पत्रांक/ एल0आर0/2024/ 3154 दिनांक 12.06.2024 को कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर पेश की। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर बहस वकील वादीगण सुनी गई तथा वकील वादीगण ने कुर्रेजात स्वीकार करने में सहमति जाहिर की। बहस सुनी जाकर निर्णय किया गया।

पत्रावली का अद्योपान अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार जमवारामगढ के द्वारा प्रस्तुत बटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार जमवारामगढ़ ने बटवारा हिस्से अनुसार किया। अतः वादीगणों का वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम पापड, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित आराजियात खसरा नम्बर 270, 275 का तकासमा किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक बटवारा रिपोर्ट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता है। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है।

–: वर्तमान जमाबन्दी अनुसार :–

	वर्तमान जमाबन्दी अनुसार	आराजी नम्बर	रकबा है0	किस्म	लगान
	कानाराम पुत्र रामधन हि0 1/324, जाति मीणा सा0देह खातेदार, किशना पुत्र भौरया हिस्सा 1/6 जाति मीणा सा0देह खातेदार, नाथी देवी पत्नि रामधन हि0 1/324 जाति मीणा सा0देह खातेदार, नानगा पुत्र छोटू हि0 1/6 जाति मीणा सा0देह खातेदार, बुद्विप्रकाश पुत्र भौरीलाल हि0 16/27 जाति मीणा हाल सोसायटी व्यवस्थापन हथरोईगडी गृहनिर्माण सहकारी समिति जयपुर खातेदार, भोली पुत्री बुद्वा हि0 1/81 जाति मीणा सा0देह खातेदार, महेश पुत्र रामधन हि0 1/324 जाति मीणा सा0देह खातेदार, यूवाराज पुत्र रामधन हि0 1/324 जाति मीणा सा0देह खातेदार, रामकंवार पुत्र भौरा हि0 1/27 जाति मीणा सा0देह खातेदार, रामफूल पुत्र बुद्व हि0 1/81 जाति मीणा सा0देह खातेदार	270 275	2.91 2.65	बा03 बा03	– –
	योग	किता 2	5.56	–	–

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला–जयपुर

भारत INDIA
दो रुपये TWO RUPEES

—: प्रस्तावित :—

प्रस्तावित	आराजी नम्बर	है0	किस्म	लगान
नानगा पि0 छोटू हि0 पूर्ण जाति मीणा सा0देह खातेदार	270/2 270/5	0.3200 0.6066	—	—
योग	किता 2	0.9266	—	—
किशना पुत्र भौरया हि0 पूर्ण जाति मीणा सा0देह खातेदार	270/3 270/4	0.3200 0.6066	—	—
योग	किता 2	0.9266	—	—
कानाराम पुत्र रामधन हि0 172/37068 जाति मीणा सा0देह खातेदार, नाथी देवी पत्नि रामधन हि0 172/37068 जाति मीणा सा0देह खातेदार, बुद्विप्रकाश पुत्र भौरीलाल हि0 32948/37068 जाति मीणा सा0देह खातेदार हाल सोसायटी व्यवस्थापन हथरोईगडी गृहनिर्माण सहकारी समिति जयपुर खातेदार, भोली देवी पुत्री बुद्दा हि0 686/37068 जाति मीणा सा0देह खातेदार, महेश पुत्र रामधन हि0 172/37068 जाति मीणा सा0देह खातेदार, यूवराज पुत्र रामधन हि0 172/37068 जाति मीणा सा0देह खातेदार, रामकुवार पुत्र भौरा हि0 2060/37068 जाति मीणा सा0देह खातेदार, रामफूल पुत्र बुद्दा हि0 686/37068 जाति मीणा सा0देह खातेदार।	270/1 270/6 275	0.4500 0.6068 2.65		—
योग	किता 3	3.7068	—	—

रोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अलग–अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही दीगण एवं प्रतिवादीगण को हुक्म इक्तिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण एवं तिवादीगण के हिस्से मे आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा स प्रमाणित किया गया। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी है।

निर्णय आज दिनांक 23/08/2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया या।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जयपुर